उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 08.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक 08.04.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।

जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।

साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस — समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:- 08.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा देर रात्रि थाना कबरई का औचक निरीक्षण, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा थाना कबरई का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय, मिशन शक्ति केन्द्र, साइबर हेल्प डेस्क, आवासीय बैरक सहित थाना परिसर के विभिन्न अनुभागों का गहन अवलोकन किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना क्षेत्र के प्रमुख अपराधों की समीक्षा करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों, संवेदनशील स्थलों एवं मुख्य मार्गों की स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही, भूमि विवाद एवं अन्य आपराधिक प्रकृति के मामलों की समीक्षा कर उनके त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।

आगामी 14 अप्रैल को आयोजित होने वाली डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती के दृष्टिगत कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु जुलूस/कार्यक्रमों के रूट निर्धारण, संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती तथा आयोजकों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए, जिससे सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न हो सकें।

निरीक्षण के दौरान अपराध रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, भूमि विवाद रजिस्टर, हिस्ट्रीशीटर रजिस्टर, फ्लाईशीट एवं टॉप-10 रजिस्टर का गहन परीक्षण किया गया। अभिलेखों के अद्यावधिक रख-रखाव, नियमित प्रविष्टि एवं सूचनाओं की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए, जिससे प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही में पारदर्शिता बनी रहे।

पुलिस अधीक्षक द्वारा हिस्ट्रीशीटर एवं सक्रिय अपराधियों की गतिविधियों की समीक्षा कर उनके विरुद्ध प्रभावी एवं कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा सतत निगरानी एवं समय-समय पर सत्यापन करने के निर्देश दिए गए।

थाना परिसर का भ्रमण कर आवासीय बैरकों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक सुधार हेतु निर्देश दिए गए। साथ ही, साफ-सफाई व्यवस्था, मालखाना, हवालात एवं कार्यालय कक्षों की स्थिति का जायजा लेकर लावारिस/जब्त वाहनों के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त, रात्रि गश्त को और अधिक सुदृढ़ बनाने, संवेदनशील स्थानों पर नियमित चेकिंग करने, संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने तथा बीट पुलिसिंग को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए।

इस दौरान थानाध्यक्ष श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया सहित समस्त थाना स्टाफ उपस्थित रहा।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 08.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना कोतवाली नगर में अर्दली रूम का आयोजन, विवेचना निस्तारण व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सम्बन्धित को दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश...।

दिनांक 07/08.04.2026 की रात्रि में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह द्वारा थाना कोतवाली नगर में अर्दली रूम आयोजित कर समस्त विवेचकों के साथ लंबित विवेचनाओं की गहन समीक्षा की गई।

इस दौरान प्रत्येक प्रकरण की प्रगति का विस्तृत अवलोकन करते हुए समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। उन्होंने निर्देशित किया कि विवेचनाओं में अनावश्यक विलंब न हो तथा पारदर्शिता, साक्ष्य संकलन की गुणवत्ता एवं न्यायसंगत कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

अर्दली रूम के दौरान साइबर जागरूकता अभियान एवं मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत जन-जागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी एवं व्यापक रूप से संचालित करने के निर्देश भी दिए गए।

इसके अतिरिक्त यक्ष ऐप पर समस्त सूचनाओं का समयबद्ध अद्यतन, e-सम्मन प्रणाली के माध्यम से शत-प्रतिशत डिजिटल तामील, I-Raid ऐप द्वारा अपराधियों की नियमित चेकिंग/सत्यापन तथा e-साक्ष्य व SID पोर्टल पर साक्ष्य एवं केस डायरी का समय से डिजिटल अपलोड सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे कार्यवाही अधिक पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण हो सके।

साथ ही आगामी 14 अप्रैल को आयोजित होने वाली डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती के दृष्टिगत कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु जुलूस/कार्यक्रमों के रूट निर्धारण, संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती तथा आयोजकों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए, जिससे सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न हो सकें।

@MahobaPolice

मिशन शक्ति फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत जनपद महोबा में व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित

मिशन शक्ति फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत जनपद महोबा के समस्त थानों में व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित विशेष अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.04.2026 को जनपद महोबा में विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उक्त कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में संपन्न कराए गए।

कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस टीमों द्वारा बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों एवं ग्राम/कस्बा क्षेत्रों में पहुंचकर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया। इस दौरान उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा उन्हें आश्वस्त किया गया कि किसी भी प्रकार की शिकायत, उत्पीड़न अथवा आपात स्थिति में पुलिस द्वारा त्वरित सहायता प्रदान की जाएगी।

पुलिस टीमों ने महिलाओं को घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, साइबर अपराध एवं अन्य महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 112, 181 आदि एवं मिशन शक्ति केंद्रों की सेवाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मरक्षा के प्रति प्रेरित करते हुए यह संदेश दिया गया कि वे किसी भी प्रकार की समस्या के संबंध में निडर होकर पुलिस से संपर्क करें।

जनपद महोबा पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु निरंतर सक्रिय एवं प्रतिबद्ध है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 08.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश पुलिस

मिशन शक्ति फेज–5.0 (द्वितीय चरण) के तहत महिला सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता अभियान — महोबा पुलिस का संवेदनशील प्रयास-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में संचालित मिशन शक्ति फेज–5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के उद्देश्य से विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएँ एवं संवाद सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में आज दिनांक 08.04.2026 को जनपद के समस्त थानों में नियुक्त मिशन शक्ति पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत स्कूलों/कॉलेजों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर छात्राओं, छात्रों एवं महिलाओं को आत्मरक्षा, उनके अधिकारों तथा साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रमों के दौरान छात्राओं को 'गुड टच' व 'बैड टच' की पहचान, आत्मरक्षा के सरल उपाय तथा महिला सम्बन्धी अपराधों से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि) के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रेरित किया गया।

साइबर अवेयरनेस कैम्पेन — डिजिटल युग में सुरक्षा की ओर कदम

मिशन शक्ति कार्यक्रम के साथ-साथ महोबा पुलिस द्वारा "साइबर अवेयरनेस कैम्पेन" भी संचालित किया जा रहा है। इसके तहत लोगों को साइबर अपराधों के प्रकार, उनसे बचाव के उपाय, साइबर फ्रॉड की पहचान, फेक लिंक/ओटीपी धोखाधड़ी से सतर्क रहने की जानकारी दी गई।

इस दौरान छात्र/छात्राओं को साइबर अपराध की शिकायत हेतु राष्ट्रीय हेल्पलाइन नम्बर 1930 एवं पोर्टल www.cybercrime.gov.in के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर—

- 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1090 – वीमेन पावर लाइन 181 – महिला हेल्पलाइन 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा 102 – गर्भवती महिलाओं/नवजात शिशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा 108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन 101 – अग्निशमन सेवा 1930 – साइबर हेल्पलाइन

अभियान का उद्देश्य-

मिशन शक्ति फेज–5.0 (द्वितीय चरण) एवं साइबर अवेयरनेस कैम्पेन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना तथा समाज में महिला सम्मान की भावना को और अधिक सशक्त बनाना है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 08.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने मुकदमें से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 07.04.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय द्वारा गठित उ0नि0 हर्षित मिश्रा मय हमराह कां0 प्रदीप मौर्य व कां0 जयदीप पटेल व सीआईडी निरीक्षक श्री गोविन्द देव मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 700/2017 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 जिसकी विवेचना सीआईडी खण्ड प्रयागराज द्वारा संपादित की जा रही है, से संबंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त जाहिर सिंह पुत्र स्व0 करन सिंह उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम तिंदौली थाना श्रीनगर जनपद महोबा को ग्राम तिन्दौली थाना श्रीनगर जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

जाहिर सिंह पुत्र स्व0 करन सिंह उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम तिंदौली थाना श्रीनगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री गोविन्द देव मिश्रा (सीआईडी खण्ड प्रयागराज)
2. उ0नि0 हर्षित मिश्रा
3. कां0 प्रदीप मौर्य
4. कां0 जयदीप पटेल

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 08.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

जनपद महोबा में आगामी डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के दृष्टिगत सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण वातावरण में कार्यक्रमों के सकुशल आयोजन हेतु पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में आज दिनांक 08/04/2026 को थाना कुलपहाड़ प्रांगण स्थित राघव सभागार में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड द्वारा आगामी अंबेडकर जयंती के दृष्टिगत पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई।

उक्त बैठक में सर्किल के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, हल्का प्रभारी सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों के जुलूस/शोभायात्रा आयोजक, डीजे संचालक एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर समितियों के अध्यक्ष/पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान सभी उपस्थित व्यक्तियों के साथ विस्तृत संवाद स्थापित करते हुए आगामी डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रमों को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए। सभी आयोजकों को अवगत कराया गया कि किसी भी प्रकार के जुलूस/शोभायात्रा/माल्यार्पण कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व विधिवत अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम केवल निर्धारित मार्ग एवं समय के अनुसार ही आयोजित किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त ध्वनि प्रदूषण संबंधी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने, डीजे/लाउडस्पीकर का प्रयोग निर्धारित नियमों के अंतर्गत करने तथा किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री का प्रसारण न करने के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक अथवा अफवाह फैलाने वाली सूचनाओं के प्रसार से बचने की सख्त हिदायत दी गई।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि कार्यक्रमों के दौरान आपसी सौहार्द, भाईचारा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, नियमों का उल्लंघन, अफवाह फैलाने अथवा शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

महोबा पुलिस द्वारा जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रमों की सतत निगरानी की जाएगी, जिससे आमजन सुरक्षित वातावरण में कार्यक्रमों में सहभागिता कर सकें।

अंत में जनपदवासियों से अपील की गई कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा आगामी डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर आपसी सौहार्द एवं शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 08.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्रशिक्षणरत 246 रिक्रूट आरक्षियों का साक्षात्कार, आगामी 20 अप्रैल को प्रस्तावित पासिंग आउट परेड (पीओपी) के दृष्टिगत तैयारियों का लिया गया जायजा...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन, जनपद महोबा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कुल 246 रिक्रूट आरक्षियों का साक्षात्कार लिया गया। इस दौरान उन्होंने आरक्षियों के प्रशिक्षण की प्रगति, अनुशासन, कानून-व्यवस्था से संबंधित ज्ञान, व्यवहारिक दक्षता एवं पुलिस कार्यप्रणाली के प्रति उनकी समझ का गहन परीक्षण किया।

साक्षात्कार के दौरान रिक्रूट आरक्षियों से विभिन्न परिस्थितियों में पुलिस की भूमिका, आमजन से संवाद स्थापित करने की क्षमता तथा आपातकालीन स्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जिससे उनकी व्यवहारिक दक्षता एवं निर्णय क्षमता का आकलन किया जा सके।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा रिक्रूट आरक्षियों को कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं अनुशासन को अपने जीवन का मूलमंत्र बनाने हेतु प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि समाज के प्रति समर्पित सेवा का माध्यम है, जिसमें संवेदनशीलता एवं निष्पक्षता अत्यंत आवश्यक है। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान एवं कौशल को व्यवहारिक जीवन में प्रभावी रूप से लागू करने पर विशेष बल दिया गया।

उक्त अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आगामी 20 अप्रैल को संभावित पासिंग आउट परेड (पीओपी) के दृष्टिगत तैयारियों का भी निरीक्षण किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर श्री अरुण कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा बाल किशोर पुलिस इकाई की मासिक गोष्ठी की गई, जिसमें गुमशुदा/अपहृत बच्चों की बरामदगी, बाल विवाह, बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के दिए गए निर्देश–

आज दिनांक 08.04.2026 को जनपद महोबा की रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह तथा क्षेत्राधिकारी श्री गौरव उपाध्याय की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान गुमशुदा/अपहृत बच्चों की बरामदगी, बाल श्रम, बाल विवाह एवं बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम तथा पॉक्सो अधिनियम 2012 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियमावली 2020 के अंतर्गत प्रकरणों में नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही किए जाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सभी उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि–

- गुमशुदा बालकबालिकाओं से संबंधित मामलों में/ धारा 137/87 बीएनएस के अंतर्गत त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत संचालित 100 दिवसीय विशेष अभियान का व्यापक प्रचारप्रसार करते हुए संबंधित विभागों के समन्वय से अभियान को प्रभावी रूप - से संचालित किया जाए।
- बाल श्रम विशेषकर पटाखा निर्माण फैक्ट्रियों एवं भंडारण गोदामों में बाल श्रम की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे चेकिंग अभियानों को सतत जारी रखा जाए।
- पॉक्सो अधिनियम एवं बीएनएस के अंतर्गत प्रारूप (ख) एवं (क) का विधिवत एवं अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों का प्रभावी संचालन किया जाए।

बैठक में उपस्थित विभाग/प्रतिनिधि –

बैठक में जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन महोबा, सखी वन स्टॉप सेंटर, जिला प्रोबेशन कार्यालय, जी.आर.पी. महोबा, किशोर न्याय बोर्ड महोबा, स्वास्थ्य विभाग महोबा, अभियोजन कार्यालय महोबा के प्रतिनिधियों सहित जनपद के समस्त थानों से बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट महोबा, प्रभारी एस0जे0पी0यू0 तथा प्रभारी महिला थाना महोबा एवं अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 08.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

महिला संबंधी अपराधों के प्रति महोबा पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पाक्सो एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में महिला संबंधी अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री नन्हेलाल के निर्देशन में गठित टीम द्वारा थाना खरेला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 10/2026 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम तथा 3(2)5, 3(2)5(क) एससी/एसटी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त बालादीन प्रजापति पुत्र कन्धी प्रजापति, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम ऐचाना थाना खरेला जनपद महोबा को दिनांक 08.04.2026 को थाना क्षेत्र खरेला से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी उपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

- उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह, थाना खरेला, जनपद महोबा
- का0 आशीष पाल, थाना खरेला, जनपद महोबा

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः

- मु0अ0सं0 10/2026 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम तथा 3(2)5, 3(2)5(क) एससी/एसटी एक्ट, थाना खरेला, जनपद महोबा
- मु0अ0सं0 47/2018 धारा 302/147/149/506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट, थाना खरेला